न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/459

1. रतन लाल आत्मज हरदेवा जाति गुर्जर ।
2. उगमा राम आत्मज हरदेवा जाति गुर्जर ।
3. लालचन्द आत्मज लादूजी जाति गुर्जर ।
4. श्रवण लाल आत्मज लादूजी जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम कोलीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये वनखण्ड रूपपुरा रनेज कोलीपुरा वनमण्डल जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 25.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि न्यायालय वन बन्दोबस्त अधिकारी, कोटा वन मण्डल कोटा ने ग्राम रूपपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 70/14 रकबा 1.02 हैक्टर भूमि को अपने आदेश दिनांक 11.03.2011 से वन अधिनियम की धारा 29 (3) के अन्तर्गत वनखण्ड घोषित करने का आदेश पारित किया ।

3. उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.07.2016 के द्वारा खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.07.2016 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । उक्त भूमि अपीलान्ट द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से ईश्वर लाल आत्मज हरदेव से दिनांक 04.04.1998 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया । अपीलान्ट ने उक्त क्रयशुदा आराजी पर चारो तरफ पत्थर की बाढ कर रखी है जिस पर अपीलान्ट निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है । बन्दोबस्त अधिकारी वन विभाग ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया था और न ही कोई सुनवाई आदि का समुचित अवसर प्रदान किया गया था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय वन बन्दोबस्त अधिकारी, कोटा ने राजस्थान वन अधिनियम की धारा 29 (3) के अन्तर्गत राज्य सरकारी की प्रारम्भिक विज्ञप्ति संख्या एफ. 2 (3)राज/8/85 दिनांक 27.05.85 द्वारा प्रसारित की जाकर राजस्थान राजपत्र दिनांक 20 जून 1985 के मुताबिक उक्त भूमि को वनखण्ड की भूमि में सम्मिलित करने का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अपील को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण खारिज कर दिया । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी मुख्य बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि उक्त भूमि उसके खातेदारी की भूमि है ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 27.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 25.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा